



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठारसीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2025/522

--:आदेश:-

दिनांक 10/09/25

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दरतावेजात आधार कार्ड प्रति व गजट नोटिफिकेशन प्रति के आधार पर राजस्थान शू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का भीटवाडा तहसील बाली जिला पाली की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 में खाता संख्या 125 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भीटवाडा	125	वगताराम पुत्र सकाराम	विजय सकाजी चौधरी उर्फ वगताराम पुत्र सकाराम



क्रमांक/कोर्ट/2025/1203-1205
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का भीटवाडा को पालनार्थ।
3. प्रार्थी विजय सकाजी चौधरी पुत्र सकाजी चौधरी जाति सीरवी (जणवा) निवासी गौरखा, तहसील देसूरी को सूचनार्थ।

3
पीठारसीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
पदेन सहा. कलक्टर, बाली
दिनांक 10/09/25

3
पीठारसीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली
पदेन सहा. कलक्टर, बाली